

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5223
02 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के उत्थान के उपाय

5223. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा प्रतिदिन 100 रुपये से कम पर गुजारा करने वाले 34 प्रतिशत भारतीयों की समस्या का समाधान करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) मंत्रालय के पास विशेषकर तेलंगाना में आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के उत्थान और सतत आजीविका तक उनकी पहुंच में सुधार लाने के लिए कौन-कौन सी विशिष्ट योजनाएं हैं?

उत्तर

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)**

(क) और (ख): सरकार ने बहुआयामी गरीबी को कम करने के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर आबादी की आजीविका में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं/पहल शुरू की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई), (ii) प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण), (iii) शहरी गरीबों के उत्थान के लिए दीन दयाल अंत्योदय योजना, (iv) वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) (v) पीएम आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू), (vi) पीएम आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), (vii) स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेवाई), (viii) जीवन और विकलांगता के लिए प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), (ix) दुर्घटना बीमा के लिए प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), (x) वृद्धावस्था पेंशन के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) (xi) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, (xii) प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, (xiii) प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), (xiv) प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, (xv) स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), (xvi) जल जीवन मिशन (जेजेएम), (xvii) प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), (xviii) प्रधान मंत्री विश्वकर्मा, आदि शामिल हैं।

(ग): केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। तेलंगाना राज्य में, इस योजना के तहत 191.70 लाख लाभार्थी शामिल हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत, सभी लाभार्थियों को पूरे देश में एक समान पात्रता और मूल्य पर किसी भी एफपीएस से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय पहुंच प्रदान की जाती है। इसके अलावा, एनीमिया और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए, भारत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कर रही है। इस पहल का उद्देश्य कमजोर आबादी को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 से समृद्ध फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराना है, ताकि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, विशेष रूप से एनीमिया से निपटा जा सके।
